न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–02(रा0)/2014–15

युगेश्वर प्रसाद सिंह बनाम चन्देश्वर प्रसाद सिंह वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

11/5/18

इस वाद की कार्यवाही अंचलाधिकारी, मनेर के पत्रांक 732 दिनांक 05.08.2014 से प्राप्त दाखिल खारिज वाद सं0 1774/2013–14 के आलोक में आरम्भ की गयी।

अंचलाधिकारी, मनेर के द्वारा मौजा ग्यासपुर, थाना नं0 23, खाता सं0 17 वगैरह खेसरा सं0 431 वगैरह रकबा 2.30 एकड़ के लिए विपक्षी चन्देश्वर प्रसाद, उमेश चन्द्र प्रसाद, राजेश्वर प्रसाद, राजधारी प्रसाद एवं धनेश्वर प्रसाद सभी के पिता स्व0 लौकी प्रसाद के नाम से चल रही जमाबंदी सं0 256/6, 257/6, 258/6, 259/6 एवं 260/06 को अवैध बताते हुए रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

इस न्यायालय में वाद को पंजीकृत किये जाने के पश्चात उभय पक्ष को नोटिस दी गयी। उभय पक्ष के द्वारा उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा लिखित बयान एवं कागजात दाखिल किए गए।

आवेदक का संक्षेप में कथन है कि

(1) विवादित भूखण्ड के खतियानी रैयत मुंशी आनन्द प्रसाद थे। आनन्द प्रसाद की पारिवारिक वंशावली इस प्रकार है।

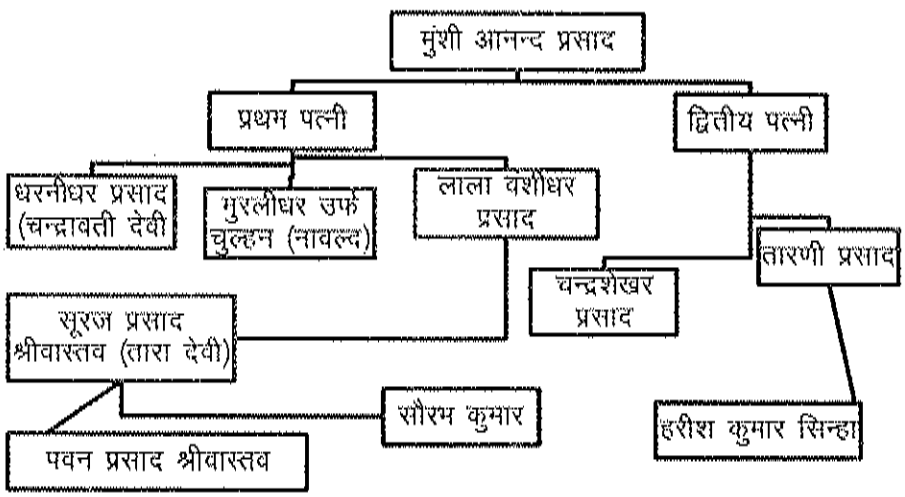

(2) मुंशी आनन्द प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त सभी पुत्रों के बीच सम्पति का विभाजन हुआ। सभी पुत्र अपने –अपने हिस्से पर दाखिल

काबिज हुए।

(3) लाला वंशीधर प्रसाद अपने हिस्से में मिली सम्पति को बहुत पहले ही बेच कर कोलकता में बस गये।

(4) धरनीधर प्रसाद ने कुछ जमीन बेची, लेकिन $4.20\frac{3}{4}$ एकड़ जमीन उनके पास रह गयी, जिसकी जमाबंदी धरनीधर प्रसाद के नाम से कायम हो कर लगान रसीद निर्गत होने लगी।

(5) धरनीधर प्रसाद एवं उनकी पत्नी चन्द्रावती देवी को कोई संतान नहीं थी। धरनीधर प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी चन्द्रावती देवी की देखभाल तारणी प्रसाद के पुत्र हरीश कुमार सिन्हा करते थे। चन्द्रावती देवी ने हरीश कुमार सिन्हा की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 23.08.1979 के निबंधित दान पत्र से $1.57\frac{1}{2}$ एकड़ भूखण्ड हरीश कुमार सिन्हा को लिख दिया। पुनः चन्द्रावती देवी ने निबंधित विक्रय अभिलेख सं0 4291 दिनांक 27.08.1980 से 2.30 एकड़ भूखण्ड उचित कीमत पर हरीश कुमार सिन्हा को बिक्री कर दी, जिस पर हरीश कुमार सिन्हा का दखल–कब्जा हुआ।

(6) श्री हरीश कुमार सिन्हा ने निबंधित मोख्तारनामा दिनांक 05.07.1991 से विवादित भूखण्ड को देखभाल एवं बिक्री करने का पावर युगेश्वर प्रसाद सिंह (आवेदक) को दे दिया।

(7) युगेश्वर प्रसाद सिंह ने उक्त मोख्तारनामा के आधार पर कुछ जमीन विश्वजीत कुमार को बेचा। विश्वजीत कुमार के नाम से दाखिल खारिज हुआ। उक्त दाखिल खारिज के विरूद्ध में चन्देश्वर प्रसाद वगैरह के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में अपील दाखिल की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज के आदेश को निरस्त करते हुए विश्वजीत कुमार को बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अन्तर्गत वाद दायर करने की सलाह दी गयी।

(8) विश्वजीत कुमार के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 74/2013–14 दायर किया गया, जिसमें विपक्षी चन्देश्वर प्रसाद वगैरह भी उपस्थित हुए। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड पर हरीश कुमार सिन्हा का पूर्ण हक एवं स्वत्व पाया गया।

(9) युगेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा विवादित भूखण्ड पर हरीश कुमार सिंह की जमाबंदी सं0 $\frac{16}{6}$ को पूर्वत कायम रखने तथा विपक्षीगण की जमाबंदी सं0 256/6, 257/6, 258/6, 259/6 एवं 260/6 को रद्द करने हेतु आवेदन दिया गया।

(10) अंचलाधिकारी, मनेर के द्वारा उभय पक्ष को सुनने तथा कागजातों की जांच के उपरान्त आवेदक का दावा सही पाया गया तथा विपक्षीगण की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा के साथ इस न्यायालय को अभिलेख भेजा गया।

(11) अंचलाधिकारी, मनेर की अनुशंसा के आलोक में विपक्षीगण की जमाबंदी सं0 256/6, 257/6, 258/6, 259/6 एवं 260/6 को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 29.03.1927 का वसीका

(2) दिनांक 25.06.1930 का वसीका

(3) धरनीधर प्रसाद के नाम से निर्गत विभिन्न वर्षो की लगान रसीदद

(4) धरनीधर प्रसाद के नाम से निर्गत पटवन रसीद एवं चौकीदारी रसीद

(5) चन्द्रावती देवी के नाम से निर्गत पटवन रसीद

(6) निबंधित दान पत्र दिनांक 23.08.1979 जो चन्द्रावती देवी के द्वारा हरिश कुमार सिन्हा को लिखा गया।

(7) निबंधित केवाला दिनांक 27.08.1980 जो चन्द्रावती देवी के द्वारा हरीश कुमार सिन्हा को लिखा गया।

(8) हरीश कुमार सिन्हा के नाम से निर्गत विभिन्न वर्षो की लगान रसीद

(9) दिनांक 05.07.1991 का मोख्तारनामा जो हरीश कुमार सिन्हा के द्वारा युगेश्वर प्रसाद सिंह को लिखा गया

(10) वर्ष 1988 की मतदाता सूची

विपक्षीगण का कहना है कि

(1) अंचलाधिकारी, मनेर के द्वारा युगेश्वर प्रसाद सिन्हा के द्वारा दिये गये, आवेदन के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 1774/2013–14 से विवादित भूखण्ड पर कायम विपक्षीगण की जमाबंदियों को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। युगेश्वर प्रसाद सिंह न तो विवादित भूखण्ड के मालिक है, न ही उनके नाम से विवादित भूखण्ड की जमाबंदी कायम है।

(2) हरीश कुमार सिन्हा के द्वारा कोई आवेदन अंचलाधिकारी, मनेर को नहीं दिया गया है। युगेश्वर प्रसाद सिंह (आवेदक) हरीश कुमार सिन्हा के दिनांक 05.07.1991 के मोख्तारनामा के आधार प्रश्नगत भूखण्ड पर कायम विपक्षीगण की जमाबंदियों को रद्द करने हेतु यह वाद लाया गया है। यह वाद चलने लायक नहीं है, क्योंकि उक्त मोख्तारनामा में जमीन का कोई खाता–खेसरा दर्ज नहीं है।

(3) हरीश कुमार के द्वारा युगेश्वर प्रसाद सिंह को यह वाद लाने हेतु कोई मुख्तरनामा नहीं दिया गया है, अतः इस वाद के संचालन का कोई औचित्य नहीं है।

(4) विवादित सम्पति मुंशी आनन्द प्रसाद की खतियानी सम्पति थी। मुंशी आन्नद प्रसाद की दो पत्नी थी। पहली पत्नी से तीन पुत्र मुरलीधर प्रसाद, वंशीधार प्रसाद एवं धरनीधर प्रसाद हुए। मुरलीधर प्रसाद निःसंतान मर गये। धरनीधर प्रसाद को वैवाहिक जीवन से कोई संतान नहीं हुई। वंशीधर प्रसाद को एक पुत्र सूरज प्रसाद श्रीवास्वत हुए तथा सूरज प्रसाद श्रीवास्तव के एक पुत्र पवन प्रकाश श्रीवास्तव हुए। मुंशी आनन्द प्रसाद की दूसरी पत्नी से दो पुत्र तारणी प्रसाद एवं चन्द्रशेखर प्रसाद हुए। चन्द्रशेखर प्रसाद की मृत्यु नावल्द अवस्था में हो गयी। तारणी प्रसाद ने एक पुत्र हरीश कुमार सिन्हा हुए।

(5) मुंशी आनन्द प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उनकी दोनों पत्नी तथा पुत्रों के बीच सम्पति का बँटवारा हुआ तथा सभी अपने–अपने हिस्से पर दाखिल काबिज हुए।

(6) धरनीधर प्रसाद ने अपने हिस्से की सारी सम्पति अपने जीवन काल में, दिनांक 06.04.1936 के केवाला से गुलाबो देवी को बेच दिया।

(7) वंशीधर प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र सूरज प्रसाद

श्रीवास्तव, पिता की सम्पूर्ण सम्पति पर दखल में आये तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम हुए।

(8) सूरज प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी तारा देवी सम्पूर्ण सम्पति पर दखल में आयी। तारा देवी ने अपने पुत्र पवन कुमार श्रीवास्तव के नाम से दिनांक 18.04.1990 को सम्पूर्ण सम्पति के लिए मुख्तारनामा लिख दिया।

(9) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव के द्वारा उक्त मुख्तारनामा के आधार पर वर्ष 1990 के विभिन्न केवालों से इस वाद के विपक्षीगण को जमीन बिक्री की गयी।

(10) सभी विपक्षीगण से बिक्रीनामा के आधार पर वर्ष 1990–91 में अलग–अलग दाखिल खारिज होकर उनके नाम से अलग–अलग जमाबंदी कायम की गयी। सभी विपक्षीगण वर्ष 1990–91 से सरकार को लगान अदा करते आ रहे है।

(11) आवेदक युगेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा हरीश कुमार सिन्हा के मुख्तारनामा के आधार पर अपने पुत्र विश्वजीत कुमार से कुछ जमीन बेची गयी। विश्वजीत कुमार के द्वारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 342/2012–13 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, मनेर के द्वारा दिनांक 26.06.2012 को उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया। अंचलाधिकारी, मनेर के उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं की गयी।

(12) विश्वजीत कुमार के द्वारा तथ्यों को छुपाकर पुनः आवेदन दिया गया, जिसे दाखिल खारिज वाद सं0 1955/2012–13 के अन्तर्गत स्वीकृत कर दिया गया।

(13) इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1955/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील सं0 70/2012–13 दायर की गयी। विस्तृत सुनवाई के उपरान्त भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 28.05.2013/17.06.13 के आदेश से दाखिल खारिज वाद सं0 1955/2012–13 के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

(14) पुनः विश्वजीत कुमार के द्वारा हरीश कुमार सिन्हा के वर्ष 1991 के मुख्तारनामा के आधार पर विवादित भूखण्ड पर अपने दावा की घोषणा हेतु भूमि विवाद सं0 74/2013–14 भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर में दायर किया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब मोख्तारनामा में खाता, खेसरा, रकवा ही अंकित नहीं है, तो उस आधार पर वय वसीका की वैद्यता के बारे में सक्षम न्यायालय ही विचार कर सकता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी।

(15) विश्वजीत कुमार के द्वारा विवादित भूखण्ड को लेकर अपने पिता युगेश्वर प्रसाद सिंह एवं हरीश कुमार सिन्हा के विरूद्ध मेली स्वत्व वाद सं0 346/2013 अवर न्यायाधीश, दानापुर के न्यायालय में दायर किया

गया है। स्वत्व वाद की जानकारी मिलने पर इस वाद के विपक्षीगण के द्वारा हस्तक्षेपक बनने हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जिसे न्यायालय ने दिनांक 04.09.2014 को स्वीकार कर दिया है।

(16) मूल आवेदक हरीश कुमार सिन्हा इस वाद में कहीं भी नहीं है। उनके हदृय मुख्तारनामा के आधार पर अंचलाधिकारी, मनेर को भ्रम में रखकर कर जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा करायी गयी है, जो दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–9 की परिधि में नही है। अतः अंचलाधिकारी, मनेर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1774/2013–14 में की गयी अनुशंसा अस्वीकृत करने योग्य है।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक 05.07.1991 का हरीश कुमार सिन्हा का मुख्तारनामा

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 1955/2012–13 का आदेश

(3) स्वत्व वाद सं0 346/13 का दिनांक 04.09.2014 का आदेश

(4) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 70/2012–13 में दिनांक 28.05.2013/11.06.2013 को पारित आदेश

(5) भू–विवाद सं0 74/2013–14 में दिनांक 13.09.2013 को पारित आदेश

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 342/2012–13 का आदेश

(7) दिनांक 20.04.1990 का केवाला जो पवन प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा राजेश्वर प्रसाद सिंह को लिखा गया।

(8) राजेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 382/1991–92 अन्तर्गत निर्गत शुद्धि पत्र भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं विभिन्न वर्षो की लगान रसीद

(9) दिनांक 20.04.1990 का केवाला जो पवन प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा राजधारी प्रसाद को लिखा गया।

(10) राजधारी प्रसाद के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 384/1990–91 अन्तर्गत निर्गत शुद्धि पत्र एवं विभिन्न वर्षो की लगान रसीद

(11) दिनांक 20.04.1990 का केवाला जो पवन प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा धनेश्वर प्रसाद को लिखा गया है।

(12) धनेश्वर प्रसाद के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 383/1990–91 अन्तर्गत शुद्धि पत्र, लगान रसीद एवं पंजी–2 की प्रति

(13) दिनांक 21.04.1990 का केवाला जो पवन प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा चन्देश्वर प्रसाद को लिखा गया है।

(14) चन्देश्वर प्रसाद के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 380/1990–91 अन्तर्गत निर्गत शुद्धि पत्र, लगान रसीद एवं पंजी–2 की प्रति

(15) दिनांक 20.04.1990 का केवाला जो पवन प्रकाश श्रीवास्तव के

द्वारा उमेश चन्द्र सिंह को लिखा गया है।

(16) उमेश चन्द्र सिंह के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 381/1990–91 अन्तर्गत निर्गत शुद्धि पत्र, लगान रसीद एवं पंजी–2 की प्रति

(17) दिनांक 06.04.1936 का केवाला जो धरनीधर प्रसाद के द्वारा गुलाबो देवी को लिखा गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) अंचलाधिकारी, मनेर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में कहा गया है कि भू–विवाद वाद सं0 74/2013–14 में दिनांक 13.09.2013 को पारित आदेश में हरीश कुमार सिन्हा के नाम से कायम जमाबंदी सं0 $\frac{16}{6}$ को कायम रखने तथा विपक्षीगण के नाम से कायम जमाबंदी सं0 256/6, 257/6, 258/6, 259/6 एवं 260/6 को निरस्त करने का आदेश दिया गया है।

भू–विवाद वाद सं0 74/2013–14 में दिनांक 13.09.2013 को पारित आदेश में ऐसा कोई निर्णय या मंतव्य नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर का मंतव्य है कि पावर ऑफ आटर्नी में खाता, खेसरा अंकित नहीं है, अतः उक्त पावर ऑफ आटर्नी के आधार पर किये गये केवाला की वैधता संबंध में सक्षम न्यायालय ही अंतिम निर्णय ले सकता है।

भू–विवाद सं0 74/2013–14 में दिनांक 13.09.2013 को पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा किसी के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं करते हुए मामले को सक्षम व्यवहार न्यायालय के स्तर से नीर्णित होना बताया गया है।

इस प्रकार अंचलाधिकारी, मनेर के द्वारा भू–विवाद वाद सं0 74/2013–14 में पारित आदेश के आधार जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजना पूर्णतः भ्रामक, आधारहीन एवं तथ्यहीन है।

(2) भू–विवाद वाद सं0 74/2013–14 के आदेश को यदि कोई पक्ष क्षुबध थे, तो उन्हें आयुक्त पटना प्रमण्डल के न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं कर आदेश की गलत व्याख्या करते हुए अंचलाधिकारी, मनेर के माध्यम से जमाबंदी रद्द का प्रस्ताव भिजवाया गया जो मान्य नहीं है।

(3) विवादित भूखण्ड का सम्बन्ध हरीश कुमार सिन्हा से है, परन्तु हरीश कुमार सिन्हा के द्वारा न तो अंचलाधिकारी, मनेर को इस आशय का कोई आवेदन दिया गया, न ही इस न्यायालय में उनके द्वारा कोई पैरवी की गयी। हरीश कुमार सिन्हा के द्वारा यह वाद लाने अथवा उसकी परैवी करने हेतु कोई मोख्तारनामा भी युगेश्वर प्रसाद सिंह (आवेदक) को नहीं दिया गया है। अतः युगेश्वर प्रसाद सिंह के आवेदन पर विवादित भूखण्ड के संबंध में किसी प्रकार का आदेश दिया जाना उचित नहीं होगा।

(4) दिनांक 05.07.1991 का मोख्तारनामा जो हरीश कुमार सिन्हा के

द्वारा युगेश्वर प्रसाद सिंह को लिखा गया है, उक्त मोख्तारनामा में कोई खाता, खेसरा अंकित नहीं है, अतः उक्त मोख्तारनामा के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में, किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना विधि सम्मत नहीं होगा।

(5) विपक्षीगण की जमाबंदियाँ निबंधित विक्रय पत्रों के आधार पर विधिवत दाखिल खारिज होकर कायम है, अतः इन जमाबंदियों को अवैध नहीं कहा जा सकता है। आवेदक यदि यह समझते है कि विपक्षीगण के विक्रेता को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री का अधिकार नहीं था तो उन्हें इसके लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में उन बिक्रीनामों को निरस्त करने हेतु वाद दायर करना चाहिए।

प्रश्नगत भूखण्डों को लेकर एक स्वत्व वाद सं0 346/13 दायर है, जिसमें इस वाद के विपक्षीगण भी पक्षकार हैं। प्रश्नगत भूखण्ड के स्वत्व को लेकर जब सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर है तब उस स्थिति में राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का निर्णय दिया जाना उचित नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अंचलाधिकारी, मनेर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 1774/2013–14 के अन्तर्गत भेजा गया प्रस्ताव विचार योग्य नहीं है। दाखिल खारिज वाद सं0 1774/2013–14 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, मनरे के द्वारा दिनांक 01.08.2014 को की गयी अनुशंसा अस्वीकृत की जाती है। पक्षकार सक्षम व्यवहार न्यायालय से न्याय निर्णय प्राप्त करें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजें। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी, मनेर को दें।

लेखापित एवं संशोधित।

11/5/18 | 11/5/18
(वज़ैन उद्दीन अंसारी) | (वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना | अपर समाहर्त्ता,पटना